[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2023

G.S.R.(E).—In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (3) of section 128, sub-section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force with effect from 23rd January, 2023.
- 2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014, in the Annexure, for Form No. AOC-5, the following Form shall be substituted, namely:—

Form No. AOC-5

Notice of address at which books of account are to be maintained

[Pursuant to first proviso to sub-section (1) of section 128 of the Companies Act, 2013 and Rule 2A of Companies(Accounts) Rules, 2014]



Form language

English

Hindi

Refer instruction kit for filing the form	
All fields marked in * are mandatory	
Company Information	
1 *Corporate Identity Number (CIN)	
2 (a) *Name of the Company	
2 (b) *Registered office address	
3 *Date of board resolution wherein a decision regarding address at which books of account are to be maintained has been taken (DD/MM/YYYY)	
4 Address at which the books of account are to be maintained	
*Address Line 1	
Address Line 2	
*Longitude	
*Latitude	
*Country	
*Pin Code/Zip code	V
*Area/Locality	
*City	
*District	
*State/UT	
5 Details pertaining to police station under whose jurisdiction the place of the address at maintained falls	which the books of account are to be
Police station name	

Address			
*Address Line 1			
Address Line 2			
*Country			
*Pin Code/Zip code			
*Area/Locality			V
*City			
*District			
*State/UT			
Attachments			
(a) *Proof of address (Conveyance/Lease deed/ Rent Agreement etc. along with the rent receipts) along with standard NOC in case of Leased or rented property	Max 2 MB	Choose File	Remove Download
(b) *Copies of the utility bills (not older than two months)	Max 2 MB	Choose File	Remove
(c) *Photograph of registered office showing external building and second will be inside office also showing therein at least one director/ KMP who has affixed his/her digital signature to this form	Max 2 MB	Choose File	Remove Download
(d) Optional attachment(s), if any	Max 2 MB	Choose File	Remove
Declaration I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution to sign this form and declare rules made there under in respect of the subject matter of this form. I also declare that all the information given herein above is true, connothing material has been suppressed.	e that all the requirement and matters incidental	thereto have be	en complied with.
* To be digitally signed by		DSC BOX	
* Designation (Director/Manager/Company Secretory/CFO/ CEO)			▼

* Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the Company Secretary	
	Save Submit
Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 statement / certificate and punishment for false evidence respectively.	3 which provide for punishment for false
This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electratement of correctness given by the company	tronic mode and on the basis of
For office use only:	
eForm Service request number (SRN)	
eForm filing date (DD/MM/YYYY)	

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part III]

(Manoj Pandey) Joint Secretary

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2014 and lastly amended, *vide* number G.S.R. 624(E), dated the 5th August, 2022.

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख*ी,वं.*!, 2023

सा.का.िन.... .__(अ) केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पाठित धारा 128 की उपधारा (1) और (3), धारा 129 की उप-धारा (3), धारा 133, धारा 134, धारा 135 की उपधारा (4), धारा 136 की उपधारा (1), धारा 137 और धारा 138 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का नाम कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2023 है।
 (2) ये नियम 23 जनवरी, 2023 को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में, अनुलग्नक में, प्ररूप एओसी-5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

प्ररूप सं. एओसी-5



प्ररूप की भाषा

अंग्रेज़ी

हिंदी

उस पते की सूचना जिस पर लेखा बिहयां रखी जानी है

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 2क के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

+ में चिहिनत सभी कालम अनिवार्य हैं	
कंपनी की जानकारी	
1 + कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	
2 (क) + कंपनी का नाम	
2 (ख) * पंजीकृत कार्यालय का पता	
 3 + बोर्ड संकल्प की तारीख जिसमें लेखा बिहयों को रखे जाने के पते के बारे में निर्णय लिया गया है (दिन/मास/वर्ष) 	
4 पता जिस पर लेखा बहियों को रखा जाना है	
* पता पंक्ति 1	
पता पंक्ति 2	
* देशांतर	
+ अक्षांश	
+देश	
+ पिन कोड/जिप कोड	▼
+क्षेत्र/इलाका	
*शहर	

+जिला +राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 5 उस पुलिस स्टेशन से संबंधित विवरण जिसके अधिकार क्षेत्र में उप	स पते का स्थान जिस ३	आता है पर लेखा	पुस्तकें रखी जानी हैं
पुलिस स्टेशन का नाम	,		
पता			
+ पता पंक्ति 1			
पता पंक्ति 2	8 -		
+देश			
+ पिन कोड/जिप कोड			
+क्षेत्र/इलाका			▼
+शहर			
÷जिला			
+राज्य/संघ राज्य क्षेत्र			
संलग्नक			
(क) +पते का प्रमाण (वाहन/पट्टा विलेख/ किराया रसीदों के साथ किराया अनुबंध आदि के साथ) पट्टे पर ली गई या किराए की संपत्ति के मामले में मानक एनओसी के साथ	अधिकतम 2 एमबी	फाइल चुने	हटाएं डाउनलोड
(ख) +3पयोगिता बिलों की प्रतियां (दो महीने से अधिक पुरानी नहीं)	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं
(ग) +बाहरी भवन को दर्शाने वाले पंजीकृत कार्यालय की फोटो और दूसरा कार्यालय के अंदर, जिसमें कम से कम एक निदेशक / केएमपी जिसने इस प्ररूप पर अपना डिजिटल हस को दर्शाया गया हो	अधिकतम 2 एमबी	फ़ाइल चुनें	हटाएं डाउनलोड

		फ़ाइल चुनें	
(घ) वैकल्पिक संलग्नक,यदि कोई हो	अधिकतम 2 एमबी	इम्म्स्य पुरा	हटाएं
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
घोषणा			
मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव संख्या के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा कर		है कि इस प्रपत्र व	
उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 अनुपालन किया गया है।	आर उसके अयान बनाए व	गए ।नयमा का सम	। अपद्याजा का
मैं यह भी घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्व कोई भी सामग्री छिपाई नहीं गयी है।	प, सही और पूर्ण है जिसमें	में इस प्ररूप के संल	ग्नक शामिल हैं और
+ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए		डीएससी बॉक्स	
+ पदनाम			▼
(निदेशक/प्रबंधक/ कंपनी सचिव / सीएफओ / सीईओ)			
+ निदेशक की पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ का डीआई	एन या पैन		
या सीएफओ; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या			
		सेव करें	जमा करें
नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रा	वधानों की ओर ध्यान आव	कर्षित किया जाता	है जो क्रमशः झूठे बयान
। प्रमाण पत्र के लिए दंड और झूठे सबूत के लिए सजा का प्राव			
यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्व	गरा रखी गई फाइल पर अं	गौर कंपनी द्वारा दि	ए गए सही होने के
बयान के आधार पर लिया गया है			
केवल कार्यालय उपयोग के लिए:			
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)			
ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/मास/वर्ष)			

[फा.सं. 1/19/2013-सीएल-V- भाग III]

भिनाज पाण्डेय)

संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.नि. 239 (अ), तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा प्रकाशित किये गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 624 (अ), तारीख 5 अगस्त, 2022 द्वारा इनमें अंतिम संशोधन किया गया था।